न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 441/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 आरटीए

यासमीन पत्नी याकुबशाह जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. सहीद खां पुत्र फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. अदरीशा पत्नी हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. कुरेशा पत्नी हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. कुरसेद पुत्र हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. सैयद पुत्र हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. बरकत अली पुत्र हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. बीबी पुत्री हुसैन मोहम्मद पत्नी फैज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढाणी केकेडब्ल्यु किकरवाली तहसील संगरिया
8. सेमा पुत्री हुसैनमोहम्मद पत्नी अल्लाबक्श जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह.संगरिया।
9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री प्रेमचन्द भारद्वाज अधिवक्ता वादीगण
श्री विनोद कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सख्या 1 ता 8

निर्णय दिनांक :— 20.1.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीया ने दिनाक 06.06.2018 को जरिए बैयनामा तुफैल खां पुत्र श्री फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ से चक 6 डीएलपी तहसील संगरिया पुराना खाता सं. 77/35 वर्तमान खाता सं. 54/7 में 0.153 है. नहरी कृषि भूमि खरीद की थी जो कि दिनाक 11.06.2018 पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 484 में पृष्ठ सं. 188 क्रम संख्या 201803419101501 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 1469 के पृष्ठ सं. 119 से 127 पर चस्पा किया गया जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल उक्त खाता सं. 54/7 में हो चुका है। बैयनामा करवाने के पश्चात् माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर के समक्ष एक वाद अनवान तरसेम सिंह आदि बनाम् बलदेव सिंह आदि प्रकरण सं. 257/2021 जिसकी डिक्री माननीय न्यायालय द्वारा की जा चुकी थी। उक्त खाता सं. 54/7 में वादीया यासमीन पत्नी याकूबशाह जाति मुसलमान के नाम दर्ज 0.153 है. हिस्सा कलमजन कर दिया गया है। वादीया द्वारा खरीदशुदा रकबा 0.153 है. भूमि के विक्रेता तुफैल पुत्र फतेह मोहम्मद ने आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा अपने हकीकी भाई प्रतिवादी सं. 1 व मृतक भाई हुसैन मोहम्मद के वारिसान प्रतिवादी सं. 2 ता 8 की आपसी सहमति से वादीया को कब्जा इसी चक 6 डीएलपी के खाता सं. 61/35 में 0.153 है. का दिया था जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति थी। वर्तमान में उक्त खाता में प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 4 से 6 को अपने मृतक पिता हुसैन मोहम्मद के हिस्सा में 0.077 है. कम किया जाकर वादीया के नाम 0.153 है. भूमि दर्ज करवाने का आश्वासन दिया था। वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक विभाजन हो गया है। जिसमें वादीया व प्रतिवादीगण को प्राप्त उक्त कृषि भूमि पर काफी समय से काबिज होकर शान्तिपूर्वक ढंग से काश्त कर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

रहे है, लेकिन वादीया के हक व हिस्सा की उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कब्जाकाश्त अनुसार दर्ज नही होने के कारण वादीया को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है, जब वादीया ने प्रतिवादीगण से आग्रह किया कि उसको उसकी 0.153 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर देवें तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल कहकर टालते रहे लेकिन गतसप्ताह प्रतिवादीगण ने ऐसा करवाने से पूर्णतया इनकार कर दिया है। बस यही वाद कारण है। वादीया अपनी कृषि भूमि पर अपने हक व हिस्सा के अनुसार घरू विभाजन के मुताबिक काबिज होकर बिना कोई विवाद के काश्त करते आ रहे है यदि उक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तो वाद के किसी पक्षकार को कोई आर्थिक क्षति व परेशानी नही होगी तथा किसी भी प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का उज्र व ऐतराज नही होगा। वादीया द्वारा याचित अनुतोष प्रतिवादी सं. 1 को सहखातेदार व प्रतिवादी सं. 2 ता 8 को हुसैन मोहम्मद के वारिस के रूप में पक्षकार बनाया गया है क्योंकि हुसैन मोहम्मद फौत हो चुका है तथा वह उक्त खाता में सहखातेदार है तथा प्रतिवादी सं. 9 को राज्य सरकार की ओर से भूमिधारक होने के कारण वाद में प्रतिवादी के रूप में सयोजित किया गया है। वादीया का वाद श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है, जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत

लिहाजा वादीया का वाद बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न प्रकार से डिक्री फरमाई जावें कि वादीया को चक 6 डीएलपी ज.सं. 2071–74 खाता सं. 61/42 में उक्त आराजी में से प्रतिवादी सं. 1 का 0.076 है. व प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के पिता हुसैन मोहम्मद से प्राप्त भूमि में प्रत्येक का 0.025, 0.026, 0.026 है. कुल 0.077 है. दोनो का कुल 0.153. है. यासमीन पत्नी याकुबशाह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा मय इकबालदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। साक्ष्य वादी में वादीया यासमीन ने अपना शपथ पत्र आ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार चक 6 डीएलपी खाता संख्या 54/7 खाता अंग्रेजकौर वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 6 डीएलपी खाता संख्या 61/42 खाता कर्मनिशा वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति एवं बैयनामा दिनांक 06.06.2018 तुफैलाखां पुत्र श्री फतेहमोहम्मद बहक यासमीन पत्नी याकुबशाह व प्रकरण संख्या 257/2021 अनवान तरसेम सिह वगैरा बनाम बलदेव सिह वगैरा में पारित डिक्री दिनांक 24.06.2024 की फोटोप्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीया ने कथन किया कि चक 6 डीएलपी तहसील संगरिया पुराना खाता सं. 77/35 वर्तमान खाता सं. 54/7 में 0.153 है. नहरी कृषि भूमि खरीद की थी। जिसका चक 6 डीएलपी खाता सं. 54/7 में अमल दमराद भी हो चुका था। वादीया द्वारा खरीदशुदा रकबा 0.153 है. भूमि के विक्रेता तुफैल पुत्र फतेह मोहम्मद ने

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा अपने हकीकी भाई प्रतिवादी सं. 1 सहीद खां व मृतक भाई हुसैन मोहम्मद के वारिसान प्रतिवादी सं. 2 ता 8 की आपसी सहमति से वादीया को चक 6 डीएलपी खाता सं. 61/35 में दी गई और माननीय न्यायलय के प्रकरण सं. 257/2021 अनवान तरसेम सिंह आदि बनाम् बलदेव सिंह आदि मे पारित डिक्री में वादीया के नाम दर्ज 0.153 है. हिस्सा कलमजन हो गया। वादीया वादग्रस्त आराजी पर आज भी काबिज होकर शान्तिपूर्वक ढंग से काश्त कर रही है जिसकी पुष्टि वाद पत्र में प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के जवाब दावा से हो रही है कथन करते हुए वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के अधिवक्ता ने भी दौराने बहस वाद डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीया ने दिनाक 06.06.2018 को जरिए बैयनामा चक 6 डीएलपी पुराना खाता सं. 77/35 वर्तमान खाता सं. 54/7 में 0.153 हे. भूमि स्वंय अर्जित कर दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई थी। इस कृषि भूमि से बाद इस न्यायलय के निर्णित प्रकरण सं. 257/2021 अनवान तरसेम सिंह आदि बनाम् बलदेव आदि मे वादीया का हिस्सा कलमजन हो चुका है। भूमि के विक्रेता तुफैल पुत्र फतेह मोहम्मद ने सहमति से पारिवारिक बंटवारा अपने हकीकी भाई प्रतिवादी सं. 1 सहीद खां व मृतक भाई मोहम्मद के वारिसान प्रतिवादी सं. 2 ता 8 की आपसी सहमति से वादीया को चक 6 डीएलपी खाता सं. 61/35 में दी गई है। जिसकी पुष्टि वादीया द्वारा प्रस्तुत बैयनामा एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाबदावा मय डिक्री की फोटोप्रति से हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वादीया साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम जाने की आवश्यकता नहीं है। तथा मुताबिक सहमति के जवाबदावा आधार पर प्रतिवादी संख्या सहीद खां व मृतक हुसैन मोहम्मद का 0.153 हिस्सा बहिब कम कर वादीया को प्रश्नगत भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:- चक 6 डीएलपी खाता संख्या 61/42 खाता कर्मनिशा वगैरा ज.स. 2071-74 में प्रतिवादी संख्या 1 सहीद खां मृतक हुसैन मोहम्मद पि. फतेहमोहम्मद के नाम दर्ज आराजी मे से 0.153 है.आराजी का वादीया अमीन पत्नी याकुबशाह को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते तथा प्रतिवादी संख्या 1 सहीद खां का 0.076 हिस्सा एव मृतक हुसैन मोहम्मद के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का 0.077 हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर मिसल फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 20.1.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 441/2025

यासमीन पत्नी याकुबशाह जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 सहीद खां पुत्र फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2 अदरीशा पत्नी हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3 कुरेशा पत्नी हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4 कुरसेद पुत्र हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5 सैयद पुत्र हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6 बरकत अली पुत्र हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7 बीबी पुत्री हुसैन मोहम्मद पत्नी फैज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढाणी केकेडब्ल्यु. किकरवाली तहसील संगरिया
8 सेमा पुत्री हुसैनमोहम्मद पत्नी अल्लाबक्श जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह.संगरिया।
9 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रेमचंद भारद्वाज वकील वादीया मिन जानिब मुदई श्री [illegible] कुमार वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:– चक 6 डीएलपी खाता संख्या 61/42 खाता कर्मनिशा वगैरा ज.स. 2071–74 में प्रतिवादी संख्या 1 सहीद खां व मृतक हुसैन मोहम्मद पि. फतेहमोहम्मद के नाम दर्ज आराजी मे से 0.153 है.आराजी का वादीया यासमीन पत्नी याकुबशाह को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते तथा प्रतिवादी संख्या 1 सहीद खां का 0.076 हिस्सा एव मृतक हुसैन मोहम्मद के वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 0.077 हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज ✗ नल ✗ मुब्लिक ✗ निल ✗ बाबत ✗ निल ✗ खर्चा मुकदमें के मय सूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ✗ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.1.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया